

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बाडमेर
पीठासीन अधिकारी श्री वीरमा राम (आर.ए.एस.) अन्तिम डिक्री
प्रतिवादीगण

वादीगण
1 मुकेश चौधरी 2 पेमाराम 3
जोराराम पिसरान भोमाराम
जाति जाट निवासी
पांचाणियों की ढाणी खारिया
तला, तहसील बाडमेर ग्रामीण
व जिला बाडमेर।


बनाम
1 भोमाराम पुत्र मगाराम जाति जाट निवासी
पांचाणियों की ढाणी खारिया तला, तहसील
बाडमेर ग्रामीण व जिला बाडमेर 2 कुटली पत्नी
मगाराम 3 खेमाराम पुत्र मगाराम 4 पदमों 5
बाबूदेवी पुत्रियां मगाराम 6 सताराम पुत्र मगाराम
जाति जाट निवासी पांचाणियों की ढाणी खारिया
तला, तहसील बाडमेर ग्रामीण व जिला बाडमेर
7 शाखा प्रबन्धक एचडीएफसी बैंक शाखा
बाडमेर 8 तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण।

दावा बाबत् 88 व 209 रा.का.अ.
मुकदमा नम्बर :- 68/2025
निर्णय दिनांक :-

वकील वादी व वकील प्रतिवादी संख्या01 व 07..... की उपस्थिति में इस वाद में आज
तारीख 08/07/25 को श्री वीरमा राम, सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बाडमेर के
समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और अन्तिम डिक्री निम्नप्रकार
दी जाती है कि:-

वादीगण का वाद माफिक ईकबाली जवाब दावा स्वीकार किया जाकर मौजा
पांचाणियों की ढाणी पटवार क्षेत्र भाड़खा तहसील बाडमेर ग्रामीण व जिला बाडमेर के खेत
खसरा संख्या 845/569 रकबा 29.9305 हैक्टेयर भूमि में वादीगण को प्रतिवादी संख्या 01
भोमाराम के साथ सहखातेदार घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादी संख्या 01, 03 व 06
चौसाला जमाबन्दी संवत 2074-2076 में उक्त भूमि एचडीएफसी बैंक शाखा बाडमेर के
अधीन रहन है। अतः तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण निर्णय की पालना रहन मुक्ति के पश्चात
करें। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करे।

यह आज तारीख 08/07/2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा
लगाकर दी गई।


(वीरमा राम)

पीठासीन अधिकारी
सहायक कलक्टर,
(एसडीओ) बाडमेर

वाद के खर्चे

वादी	रुपया	प्रतिवादी	रुपया
1 वाद पत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2 शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
3 प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
4 रुपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5 साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय		आदेशिका की तहसील	
6 कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
7 आदेशिका की तामिल			
जोड़		जोड़	